क्रम संख्या–03

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 15 जनवरी, 2020 ई0

पौष 25, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 13 / XXXVI (3) / 2020 / 76(1) / 2019

देहरादून, 15 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) विधेयक, 2019'** पर दिनांक 13 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 05 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2020)

चूंकि, पूर्व संवैधानिक पदाधिकारियों को प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं के दृष्टिगत् वर्ष 2000 में राज्य गठन के उपरान्त भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को कतिपय नियम/शासनादेश/कार्यालय–ज्ञाप/अधिसूचना के अनुसार जीवन पर्यन्त आवासीय एवं अन्य सुविधायें प्रदत्त की गई थी;

अतएव, अब, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व में प्रदत्त आवासीय एवं अन्य सुविधाओं को मात्र एक बार के लिए निश्चित अवधि तक विधिमान्य करने एवं आवासीय सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 9 नवम्बर, 2000 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) "भूतपूर्व मुख्यमंत्री" से उत्तराखण्ड सरकार के मंत्रिपरिषद् में कार्यरत रह चुके मुख्यमंत्री अभिप्रेत है;

(ग) "शुल्क एवं मानक किराया" से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आवास, विद्युत, जल एवं अन्य सुविधाओं हेतु निर्धारित शुल्क एवं मानक किराया अभिप्रेत है;

(घ) "सरकारी आवास" से देहरादून नगर निगम एवं कैन्ट परिसर सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध सरकारी आवास अभिप्रेत है;

लागू होना

3. यह अधिनियम उन भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों पर लागू होगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सरकारी आवासों का आवंटन किया गया है। नियम/शासनादेश / कार्यालय ज्ञाप/ अधिसूचना द्वारा आवंटित आवासीय सुविधा, इस अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 31–03–2019 तक उपधारित समझी जायेंगी:

परन्तु यह कि ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों जिन्हें सरकारी आवास का आवंटन किया गया है, दिनांक 31.03.2019 से इस अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 5 में उपबंधित सुविधाएं एवं लाभों के हकदार नहीं होंगे;

परन्तु यह और कि दिनांक 31.03.2019 से कोई भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री मात्र भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने की प्रास्थिति के आधार पर सरकारी आवास के आवंटन तथा इस अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 5 में उपबंधित सुविधाएं एवं अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे।

सुविधाएं

4. (क) उत्तराखण्ड राज्य में भूतपूर्व मुख्यमंत्री को आवंटित सरकारी आवास के समुचित किराये की वसूली आवास आवंटन की तिथि से सरकार द्वारा आवंटी से की जाएगी।

स्पष्टीकरणः–इस उपधारा के प्रयोजन हेतु समुचित किराया समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मानक किराये के अतिरिक्त 25 प्रतिशत अधिक होगा।

(ख) भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास के विद्युत, जल मूल्य, एवं सीवर शुल्क आदि का भुगतान आवंटन की तिथि से आवंटी द्वारा स्वयं सम्बन्धित विभाग को किया जाएगा।

(ग) भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी सुविधाएं (वाहन मय चालक, वाहन हेतु पी0ओ0एल, वाहनों में अनुरक्षण कार्य, वैयक्तिक सहायक/विशेष कार्याधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, माली टेलीफोन अटैन्डेन्ट, सुरक्षा गार्ड आदि) जो शासन द्वारा निर्धारित की गयी है, निःशुल्क रहेंगी।

(घ) भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध करायी गयी समस्त सुविधाएं (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) उनके सरकारी आवास में अध्यासन की तिथि तक ही अनुमन्य होंगी।

(ङ.) भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल सुविधायें अनुमन्य होंगी।

सरकारी आवासों का अनुरक्षण

5. भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवासों में समय–समय पर कराये गये मरम्मत/अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

आदेशों का विधिमान्यकरण

6. राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास एवं अन्य सुविधाएं प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये नियम/शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप/अधिसूचनाऐं एवं ऐसे समस्त आदेश इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये समझे जाएंगे।

अध्यारोही प्रभाव

7. किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/डिक्री/आदेश या दिशा निर्देशों में प्रतिकूल किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रावधान विधिमान्य एवं प्रभावी समझे जाएंगे।

अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त सुविधाएं

8. यदि भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को किसी अन्य अधिनियम या किसी आदेश के अन्तर्गत कोई पेंशन/भत्ता/सुविधाऐं आदि अनुमन्य हैं, तो इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुये भी वह उसे भी प्राप्त करने का हकदार होगा।

नियम बनाने की शक्ति

9. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

निरसन और अपवाद

10 (1) उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

भूतपूर्व संवैधानिक पदाधिकारियों को दी गयी सुविधाओं के दृष्टिगत् उत्तराखण्ड राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व में जीवन पर्यन्त आवासीय एवं अन्य सुविधाएं बिना किसी विधायी अनुमोदन के प्रदत्त की गयी थी।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य में **उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) अध्यादेश, 2019** प्रख्यापित किया गया था।

3– प्रस्तुत विधेयक **"उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) अध्यादेश, 2019"** का प्रतिस्थानी विधेयक है तथा उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।